भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1084
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर और दुर्लभ रोगों के लिए उपचार सुविधा

†1084. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तरी केरल में दुर्लभ बीमारियों के लिए कैंसर देखभाल और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम और दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या कासरगोड जिले में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जन-स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन का आकलन नियमित रूप से समीक्षा बैठकों, प्रमुख उपलब्धियों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरों, सेवा प्रदायगी के मानकीकरण तथा सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग देशभर में विशिष्ट स्तर की कैंसर परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट कैंसर परिचर्या सुविधा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत, 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) तथा 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्रों (टीसीसीसी) को स्वीकृति प्रदान की गई है। केरल राज्य में, क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम को राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड को विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। केरल राज्य में, 28 डे-केयर कैंसर केंद्र (डीसीसीसी) कार्यरत हैं। ये केंद्र रोगियों के निवास स्थान के निकट कीमोथेरेपी एवं अनुवर्ती उपचार उपलब्ध कराते हैं, जिससे कैंसर उपचार तक उनकी पहुँच में सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 (एनपीआरडी, 2021) के अंतर्गत नामित उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के माध्यम से चिन्हित दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु प्रति रोगी 50 लाख रुपये तक की वित्तीय एवं

चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है। केरल में श्री अविट्टोम तिरुनाल (एसएटी) अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर, तिरुवनंतपुरम को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (एनपीआरडी) के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया गया है। दुर्लभ रोगों के संबंध में रेफरल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 के दौरान एसएटी अस्पताल द्वारा एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम तथा कोझिकोड में तीन राज्य-स्तरीय संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सात मेडिकल कॉलेजों और कोट्टायम, इडुक्की, त्रिशुर, कोल्लम, पथानमथिट्टा, मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर एवं कासरगोड जिलों के चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया।

(ख): राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, जांच, निदान एवं प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए निधियां जारी की जाती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदनों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अंतर्गत प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
109	115.98	61.16

(ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) की ''विशिष्ट कैंसर परिचर्या सुविधा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना'' के तहत वर्तमान में कासरगोड जिले में विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) हेतु राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

रुपये लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56.18	77.50	74.60
2	आंध्र प्रदेश	5954.08	2793.95	1683.39
3	अरुणाचल प्रदेश	779.13	778.50	822.50
4	असम	1222.93	1261.30	1141.78
5	बिहार	7163.81	15239.36	11733.20
6	चंडीगढ़	3.90	5.55	5.55
7	छत्तीसगढ	2974.64	3489.59	3012.49
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	57.99	220.20	216.90
9	दिल्ली	335.41	1002.36	1107.56
10	गोवा	145.25	380.84	244.74
11	गुजरात	3778.31	4183.61	5415.86
12	हरियाणा	406.56	5093.87	3373.86
13	हिमाचल प्रदेश	1416.50	1239.49	1008.10
14	जम्मू और कश्मीर	882.00	1016.40	979.00
15	झारखंड	1958.53	4668.04	4545.24
16	कर्नाटक	2452.35	1645.43	2782.56
17	केरल	5249.09	5464.00	5391.56
18	लद्दाख	166.43	1126.35	497.24
19	लक्षद्वीप	22.28	31.70	21.70
20	मध्य प्रदेश	2090.26	7207.23	7601.96
21	महाराष्ट्र	5147.52	22614.03	23207.76
22	मणिपुर	724.30	1448.36	1463.36
23	मेघालय	370.59	1002.20	1073.66
24	मिजोरम	176.24	157.71	161.85
25	नागालैंड	310.88	452.79	525.34
26	ओडिशा	6067.91	5251.02	5354.42
27	पुदुचेरी	135.94	499.08	581.58
28	पंजाब	1796.11	4255.14	4014.75
29	राजस्थान	23542.92	13709.00	13250.90
30	सिक्किम	85.55	243.93	246.55
31	तमिलनाडु	10031.16	5130.45	9423.42
32	तेलंगाना	5145.00	3925.06	4452.60
33	त्रिपुरा	578.92	670.00	276.52
34	उत्तर प्रदेश	18998.70	24974.57	26002.23
35	उत्तराखंड	1167.37	1231.06	1344.87
36	पश्चिम बंगाल	5428.71	8563.20	8583.46
